

लाभार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की निष्कासन सूची के मापदंड अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है।

अतः ग्राम विकास अधिकारी एवं हल्का पटवारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी को अपात्र मानकर खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की अनुशंसा की गई है ।